न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
71 / 2023	03 / 07 / 2023	21 / 12 / 2025

1. देवेन्द्र मीणा आत्मज श्री रामकल्याण जी जाति मीणा
2. बृज सुन्दर मीणा आत्मज श्री रामकल्याण जी जाति मीणा निवासीगण आना सागर टीटी कालेज की गली, बालाजी नगर रोड, रंगबाडी कोटा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण आत्मज चतुर्भुज जी जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल हाल आना सागर टीटी कालेज की गली, बालाजी नगर रोड, रंगबाडी कोटा जिला कोटा
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड०।
प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री लेखराज धाकड एड०।

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता नं० नया 229 व पुराना 212 की निम्न खसरा नम्बरान की भूमि स्थित चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 पेश है। खसरा नम्बर 102 की 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 की 2.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 127 / 757 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 / 1 की 0.49 हेक्टर पूर्व, कुल 5 किता की 5.47 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं. 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 की पुश्तैनी भूमि है जो प्रतिवादी नं० 1 को उनके पिता से यानी वादीगण के दादा जी चतुर्भुज जी से प्राप्त हुई है। पूर्व में वादीगण के दादा चतुर्भुज आत्मज परस्या जी के नाम ख०न० 82, 102, 115, 156, 147, 191, 193, 688, 127 / 757, 148 / 762 कुल 10 किता की 12.88 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही थी चतुर्भुज जी की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र प्रतिवादी नं० 1 व उनके भ्राता के नाम दर्ज हुई जिनमें आपस में विभाजन हो गया ओर उपरोक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी नं० 1 के नाम दर्ज हुई। जो वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादी नं० 1 वादीगण के पिता है तथा वादीगण प्रतिवादी नं० 1 के पुत्र है। प्रतिवादी नं० 1 ने अपने जीवनकाल में अपने खाते की भूमियों को वादीगण को पारिवारिक विभाजन में 1 / 3, 1 / 3 हिस्से हेतु दे रखी है। जिसके अनुसार अपनी अपनी भूमि पर शामलाती रूप से काश्त करते व काश्त की व्यवस्था करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रतिवादी नं० 1 के खाते में दर्ज उक्त भूमियों में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण का बराबर बराबर का हिस्सा है। प्रतिवादी नं० 1 एक 71 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो अन्य लोगों के बहकावे में आकर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है जब कि उपरोक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है तथा उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी नं० 1 के साथ वादीगण का बराबर–बराबर हिस्सा है उपरोक्त भूमि को वादीगण काश्त कर अपने व अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे है उक्त भूमि ही वादीगण की आय का एक मात्र साधन है। इस कारण प्रतिवादी नं. 1 के साथ वादीगण को बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने उपरोक्त भूमि में उसका नाम अंकित कराने को दिनांक 17–04–2023 को प्रतिवादी नं० 1 से कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने मना कर दिया तथा प्रतिवादी नं0 1 ने धमकी दी कि वह उक्त भूमि को बेचान

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

करके रहेगा। जब कि प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे तथा वादीगण को पुश्तैनी भूमि से हमेशा के लिये महरूम करे यदि प्रतिवादी को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकगी व वादीगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने से इन्कार करने पर तथा दिनांक 17—4—2023 को उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी नं0 2 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे वाद पत्र में अंकित भूमि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नम्बर 102 की 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 की 2.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 127/757 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 193/1 की 0.49 हेक्टर पूर्व कुल 5 किता की 5.47 हेक्टर भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के साथ वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में अंकित भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। प्रतिवादी नं0 2 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

वादी की ओर वाद श्री इन्द्रजीत मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री लेखराज धाकड एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी क्रम 1 ने इकबाली जवाब पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 पिता—पुत्र है जिनके मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है और वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर वाद डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करने की करे।

राजीनामा तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नम्बर 102 की 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 की 2.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 127/757 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 193/1 की 0.49 हेक्टर पूर्व कुल 5 किता की 5.47 हेक्टर भूमि पर वादी क्रम 1 देवेन्द्र मीणा हिस्सा 1/3, बृज सुन्दर मीणा हिस्सा 1/3, रामकल्याण हिस्सा 1/3 खातेदार घोषित किया जाकर उभयपक्षकारान को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक—दूसरे के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
71 / 2023	03 / 07 / 2023	21 / 12 / 2025

1. देवेन्द्र मीणा आत्मज श्री रामकल्याण जी जाति मीणा
2. बृज सुन्दर मीणा आत्मज श्री रामकल्याण जी जाति मीणा निवासीगण आना सागर टीटी कालेज की गली, बालाजी नगर रोड, रंगबाडी कोटा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण आत्मज चतुर्भुज जी जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल हाल आना सागर टीटी कालेज की गली, बालाजी नगर रोड, रंगबाडी कोटा जिला कोटा
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड०।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री लेखराज धाकड एड०।

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नम्बर 102 की 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 की 2.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 127/757 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 193/1 की 0.49 हेक्टर पूर्व कुल 5 किता की 5.47 हेक्टर भूमि पर वादी कम 1 देवेन्द्र मीणा हिस्सा 1/3, बृज सुन्दर मीणा हिस्सा 1/3, रामकल्याण हिस्सा 1/3 खातेदार घोषित किया जाकर उभयपक्षकारान को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है। डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 21.12.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
[illegible] (राज.)